

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, शाहजहाँपुर।
प्रशासनिक आदेश संख्या-58/2021

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-1946/LXXXVII-CPC/c-Courts/ इलाहाबाद दिनांकित 26 अप्रैल, 2021 द्वारा पूर्व में जारी माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-1941/LXXXVII-CPC/c-Courts/इलाहाबाद दिनांकित 05 अप्रैल, 2021, पत्र संख्या-1944/LXXXVII-CPC/c-Courts/इलाहाबाद दिनांकित 14 अप्रैल, 2021 तथा पत्र संख्या-1945/LXXXVII-CPC/c-Courts/इलाहाबाद दिनांकित 22 अप्रैल, 2021 की कार्य योजना में आंशिक संशोधन किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायालयों को कार्य सम्पादन हेतु खोले जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों तथा न्यायिक अधिकारियों के साथ कृत वार्ता दिनांकित 27-04-2021 में लिये गये निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार दिनांक: 28-04-2021 से अग्रिम आदेशों तक निम्नवत् संशोधित कार्य योजन प्रस्तावित एवं लागू की जाती है :-

- माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्रों के पैरा 1 में दिये गये निर्देशानुसार प्रतिदिन न्यायालयों को सीमित संख्या में कार्य सम्पादन हेतु खोला जाना है। कार्य की अधिकता एवं न्यायालयों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त पैरा में उल्लिखित अर्जेंट प्रकृति के नये मामलों (जमानत प्रार्थनापत्र, रिलीज, बयान धारा 164 दंप्रसंग अंकित किया जाना एवं रिमाण्ड कार्य) से सम्बन्धित कार्यवाही का संचालन निम्न प्रकार से होगा-
- समस्त सत्र न्यायालयों से सम्बन्धित उपरोक्त कार्य निम्नवत् न्यायिक अधिकारीगण द्वारा निम्नलिखित रोटेशन/समय स्लाट के अनुसार सम्पादित किया जायेगा :-

न्यायालय का नाम	बैठने का दिन	कार्य करने की अवधि
सत्र न्यायाधीश	सोमवार	11:30 A.M-12:30 P.M.
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0- 1	मंगलवार	
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0- 2	बुधवार	
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0- 3	गुरुवार	
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0- 4	शुक्रवार	

- समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन निम्नवत् किया जायेगा।

न्यायालय का नाम	बैठने का दिन	कार्य करने की अवधि
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	सोमवार	12:30 P.M - 01:30 P.M.
ए0सी0जे0एम0-प्रथम, कक्ष सं0-16	मंगलवार	
ए0सी0जे0एम0-द्वितीय, कक्ष सं0-17	बुधवार	
ए0सी0जे0एम0-तृतीय, कक्ष संख्या-15	गुरुवार	
जे0एम0-प्रथम, कक्ष सं0-25	शुक्रवार	
सिविल जज जू0 डि0, तिलहर	-	माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशानुसार कार्य करेंगे।
अपर सिविल जज जू0 डि0, तिलहर	-	
सिविल जज जू0 डि0, पुवांया	-	
सिविल जज जू0 डि0, जलालाबाद	-	

उक्त न्यायिक अधिकारियों में से किसी न्यायिक अधिकारी के अवकाश पर होने की दशा में सम्बन्धित कार्य उनके प्रभारी न्यायिक अधिकारी द्वारा निष्पादित किया जायेगा।


- कम्प्यूटर अनुभाग की सहायता से माननीय न्यायालय के उपरोक्त पत्र के पैरा 01 में वर्णित मामलों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग/वर्चुअल मोड के माध्यम से (न्यायालय परिसर एवं आवासीय कार्यालय) सुनिश्चित की जायेगी। सिस्टम आफिसर एवं टैक्नीकल मैन पावर को निर्देशित किया जाता है कि वह आवश्यक व्यवस्था/कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
- माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र के पैरा 03 में दिये गये निर्देशानुसार विचाराधीन बन्दियों के सम्बन्ध में न्यायिक कार्य/रिमाण्ड कार्यवाही संचालित करने के लिये जिदसी वीडियो कान्फ्रेंसिंग साफ्टवेयर, का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जाये। विचाराधीन बन्दियों के मामलों का रिमाण्ड/अन्य न्यायिक कार्य (सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय से सम्बन्धित) अग्रिम आदेश तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग/वर्चुअल मोड के माध्यम से पूर्व प्रशासनिक



आदेश संख्या 180/2020 दिनांकित 10.09.2020 के अनुसार किया जायेगा। मजिस्ट्रेट न्यायालयों से सम्बन्धित रिमाण्ड/अन्य न्यायिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के विवेकाधीन रहेगा।

6. माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय शाहजहाँपुर द्वारा समर्पित (Dedicated) ई-मेल पूर्व में बनाया गया है। जिसकी आई०डी० districtcourtspn@gmail.com है। नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को निर्देशित किया जाता है कि वह ई-मेल आई०डी० को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर प्रसारित करायें। अधिवक्तागण अपने-अपने जमानत प्रार्थनापत्र, अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र, आवश्यक प्रकृति के अन्य प्रार्थनापत्र जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र में वर्णित है, समर्पित ई-मेल सेवा पर प्रस्तुत कर सकते हैं, जिन्हें सुनवाई हेतु सम्बन्धित न्यायालय को प्राप्त कराया जायेगा। विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा भेजे जाने वाले ऐसे प्रार्थना पत्रों में अधिवक्ता/वादकारियों का विवरण मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई०डी० सहित दिया जायेगा।
7. उपरोक्त पत्र के पैरा 05 के अनुसार न्यायालय परिसर में अधिवक्तागण, वादकारीगण, स्टाम्प विक्रेता, अधिवक्ता क्लर्क आदि का प्रवेश अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित रहेगा।
8. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेशित किया जाता है कि वह इस कार्य योजना की जानकारी स्थानीय प्रिन्ट मीडिया पर प्रसारित एवं प्रकाशित कराया जाना सुनिश्चित करें। नोडल अधिकारी कम्प्यूटर को निर्देशित किया जाता है कि वह इन दिशा निर्देशों को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
9. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र के पैरा 08 में दिये गये निर्देशानुसार न्यायालय परिसर में न्यायालय कर्मचारीगण का प्रवेश कम से कम होगा जो किसी भी दशा में 10 कर्मचारियों से अधिक नहीं होगा। न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों एवं अनुभागों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र के पैरा 08 में वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार न्यायालय/कार्यालय में चक्रीय व्यवस्था के अनुसार, कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करायें।
10. माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्र के निर्देशानुसार न्यायिक अधिकारीगण, कोर्ट स्टाफ और उनके पारिवारिक सदस्य की नियमित जॉच एवं उपचार हेतु न्यायिक अधिकारियों में से नोडल ऑफीसर नामित किया जाना है। तत्सम्बन्ध में श्रीमती आमा पाल, सी०जे०एम०, शाहजहाँपुर को नोडल ऑफीसर नामित किया जाता है, जो राज्य सरकार द्वारा नामित स्टेट नोडल ऑफीसर एवं जिला प्रशासन के स्तर पर नामित नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर उपरोक्त सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।
11. उपरोक्त व्यवस्था से सम्बन्धित सभी न्यायालय प्रतिदिन अपराह्न 02.00 बजे तक अथवा उसके पूर्व इस आशय की सूचना प्रशासनिक कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें कि न्यायालय में उपरोक्त वर्णित प्रकृति के कितने वाद दाखिल हुये और न्यायालय द्वारा कितने मामलों का निस्तारण किया गया।
12. आदेश की प्रति समस्त न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य परिचालित की जाये।
13. आदेश की एक-एक प्रति जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, कारागार अधीक्षक, सेन्ट्रल बार एसोसिएशन को प्रेषित की जाये तथा सार्वजनिक सूचना पटल, न्यायालय के विभिन्न गेटों, बाह्य न्यायालयों के सूचना पटल इत्यादि पर चस्पा करायी जाये।
14. सर्व सम्बन्धित, माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त पत्रांक संख्या 1946/LXXXVII-CPC/e-Courts/इलाहाबाद दिनांकित 26-04-2021 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करेंगे।
15. इस कार्य योजना/आदेश की एक प्रति माननीय उच्च न्यायालय को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जाये।

दिनांक: 27-04-2021


प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
शाहजहाँपुर।